आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर न्यायाधीश **सिविल वाद प्र.सं. 59/2017 कैनरा बैंक विरूद्ध सरजीवन कुमार आदि** **(CIS No. 58/2019)**	संख्याक व दिनांक पत्र जो इस आदेश की पालना में निर्गमित हु
30.01.2026	अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। इस आदेशिका द्वारा वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सि.प्र.सं. दिनांकित 10.02.2025 का निस्तारण किया जा रहा है। विद्वान अधिवक्ता वादी पक्ष द्वारा निवेदन किया गया है कि वाद पत्र की चरण सं.10 में भूलवश यह अंकित किया गया है कि प्रतिवादी सं.1 दिनांक 2.8.2017 को बैंक में आया व एक पत्र देकर सूचित किया कि वह अपने जिम्मे निकलने वाली बकाया राशि जमा करवा देगा व एक मांग वचन पत्र निष्पादित व हस्ताक्षरित करके सुपुर्द किया।जबकि वास्तविक स्थिति यह थी कि वादी बैंक के अधिकारियों केा ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी सं.1 केन्द्रीय कारागृह में अन्य प्रकरण में बंदी है, इस पर वादी बैंक के स्थानीय अधिकारी केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर के कार्यालय में गए तथा वहां विधिवत प्रतिवादी सं.1 से संपर्क किया और प्रतिवादी सं.1 ने मांग वचन पत्र व अभिस्वीकृति पत्र दिनांक 2.8.17 को निष्पादित व हस्ताक्षरित कर वादी बैंक के सुपुर्द किया, जो असल संलग्न वाद पत्र है, जिन पर अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर की सीलमोहर है। अतः इस संबंध में संशोधन प्रस्तावित करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रस्तावित संशोधन अनुज्ञात किए जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी पक्ष द्वारा निवेदन किया गया कि उसने कभी दावाकृत राशि की अदायगी हेतु कोई पत्र नहीं दिया। प्रतिवादी का केन्द्रीय कारागृह में बंदी होने के समय वादी बैंक के अधिकारियों द्वारा जेल प्रबंधन के साथ मिलकर दबाव देकर प्रतिवादी के खाली पेपर पर हस्ताक्षर कराए गए थे, जो आरंभ से ही शून्य है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जावे। पक्षकथनों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वाद पत्र में यह अभिकथन किया गया है कि दिनांक 2.8.2017 को प्रतिवादी सं.1 ने बकाया निकलने वाली राशि बाबत पत्र व मांग वचन पत्र बैंक में आकर निष्पादित किए थे। पत्रावली प्रस्तुत उक्त प्रलेखों के अवलोकन से उनमें केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर का उल्लेख प्रकट है और स्वयं प्रतिवादी ने जवाब प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है कि बैंक अधिकारियों ने कारागृह में उसके बंदी रहते हुए जेल में खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। ऐसी स्थिति में वादी बैंक के कथनानुसार अभिवचन में उक्त तथ्य सहवन से अंकित होने से रह गया है, जो सद्भाविक भूल होना प्रतीत होता है व यह पश्चातवर्ती प्रक्रम पर कोई सोच–विचार कर तैयार किया गया तथ्य प्रतीत नहीं होता है, जबकि प्रलेखों की दिनांक वही है। यद्यपि यह साक्ष्य से तय हो पाएगा कि इन पर हस्ताक्षर कैसे किए गए। इस प्रक्रम पर प्रस्तावित संशोधन अनुज्ञात किया जाना उचित प्रतीत होता है। **निष्कर्षतः** वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सि.प्र.सं. स्वीकार किया जाकर वादी को प्रस्तावित संशोधन वाद	

पत्र में किए जाने हेतु अनुज्ञात किया जाता है। तदानुसार वादी आगामी 14 कार्यदिवस में संशोधित वाद पत्र प्रस्तुत करे। आदेश सुनाया गया। आदेश सुनाया गया। पत्रावली पेश होने संशोधित वादपत्र व साक्ष्य वादी हेतु दिनांक को पेश हो।

(रविन्द्र कुमार)